

क्रमांक: प.4(1)साप्र/5/2023-01201

जयपुर, दिनांक:

—:: आज्ञा ::—

इस विभाग के दिशा-निर्देश संख्या प.7(2)साप्र/5/2006 दिनांक 27.10.2006 व आदेश दिनांक 22.06.2022 एवं विभागीय आदेश क्रमांक प.4(3)साप्र/5/2016 दिनांक 16.03.2016 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने अंकित आवास एक वर्ष की अवधि अथवा नियमित आवास उपलब्ध होने तक, जो भी पूर्व हो, के लिए निम्नांकित शर्तों पर अस्थाई रूप से आवंटित किया जाता है:-

1. आवंटित आवास अस्थाई प्रकृति का आवास है, जिसका कब्जा एक सप्ताह में प्राप्त करना होगा। एक सप्ताह में कब्जा ग्रहण नहीं करने की स्थिति में आवंटन स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. संबंधित अधिकारी को नियमानुसार मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।
3. संबंधित अधिकारी से आवास के पेटे नियमानुसार किराया राशि की अग्रिम वसूली प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर द्वारा की जावेगी।
4. संबंधित अधिकारी के विरुद्ध ट्रांजिट हॉस्टल/बजाजनगर अपार्टमेंट, जयपुर की पूर्व की कोई राशि बकाया हो, तो कब्जा देने से पूर्व वसूल कर ली जावे।
5. संबंधित अधिकारी को मूल वेतन प्रमाण-पत्र (Pay-Slip) प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल को प्रस्तुत करना होगा।
6. स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति की सूचना संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर को तुरन्त दी जाएगी तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह में आवास रिक्त करना होगा।
7. आवंटी को सम्पत्ति विवरण घोषणा-पत्र, गत भुगतान प्रमाण-पत्र, जो आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित हो, उपलब्ध कराना होगा।
8. समय-समय पर इस विभाग द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम व पद	पे-लेवल/ ग्रेड पे	वरियता संख्या	सेवानिवृत्ति तिथि	आवंटित आवास
1.	सुश्री जसमीत कौर, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त-एच, संभाग-चतुर्थ, जयपुर (8094763393)	L-12 (Fixed pay- 31,100/-)	01/2025	31-03-2054	H-II-96, बजाजनगर अपार्टमेंट
2.	श्रीमती ममता गुर्जर, नर्सिंग ऑफिसर, जे.के. लोन अस्पताल, जयपुर (8233441525)	L-11 4200/-	02/2025	31-07-2055	A-II-11, बजाजनगर अपार्टमेंट

Signature valid



राज्यपाल की आज्ञा से,  
Digitally signed by Rajendra Singh  
Shekhawat  
Designation: (राज्यपाल के सहायक)  
Date: 2025.01.15 11:29:10 IST  
Reason: Approved

## प्रतिलिपित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, जयपुर।
2. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (विद्युत), वृत्त-जयपुर।
3. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
4. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
5. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर- कृपया आवास का कब्जा देने से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करें कि आवंटी आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से अब तक उनके विभाग में जयपुर में ही पदस्थापित है तथा आवंटी से सम्पत्ति विवरण घोषणा-पत्र, गत भुतगान प्रमाण-पत्र, जो आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित हो, प्राप्त करे।
6. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड- III, चौकी-गांधीनगर, जयपुर।
7. सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर, जयपुर।
8. सहायक अभियन्ता, वि०वि०निगम लि., गांधीनगर, जयपुर।
9. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
10. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को भेजकर लेख है कि उनको आवंटित आवास का कब्जा एक सप्ताह तक प्राप्त कर प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर/विभाग को अवगत करावें। निर्धारित समयावधि में कब्जा ग्रहण नहीं किये जाने पर रिक्त आवास को अन्य प्रतीक्षारत अधिकारी को आवंटित कर दिया जावेगा।
11. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग- आवंटी को वरीयतानुसार नियमित आवास आवंटित करवाकर अवगत करावें।
12. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग को आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

Office Address- Room No.1124 Main Building, Secretariat,  
Jaipur-302005 Tel. No.(J.S.)-0141-2227874, 0141- 25240  
E-Mail-[asgad5@rajasthan.gov.in](mailto:asgad5@rajasthan.gov.in) Website: [www.gad.rajasthan.gov.in](http://www.gad.rajasthan.gov.in)

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Singh  
Shekhawat  
Designation : Assistant Secretary  
Date: 2025.01.15 11:20:10 IST  
Reason: Approved